संचिका सं0–म० / बजट–05 / 2026 ......33...... /

279

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य / पटना, दिनांक 30.09.2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना ₹916.015 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु0) मात्र की लागत व्यय पर स्वीकृत योजना हेतु द्वितीय चरण में कुल ₹293.12480 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख बारह हजार चार सौ अस्सी रु0) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी–I के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6एस0एस0(6)07 / 2020–2611 दिनांक–02.06.2026 के आलोक में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹916.015 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु0) मात्र के अन्तर्गत द्वितीय चरण में कुल ₹293.12480 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख बारह हजार चार सौ अस्सी रु0) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0117–मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02.2405001010117 विषय शीर्ष 0117.13.01–कार्यलय व्यय मद एवं विषयशीर्ष–0117.33.01–सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि0 25.03.2021 *(जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा)* के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :–
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम–475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एव तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2026–27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2027 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :– विवरणी–I

विश्वासभाजन

29/09/26

निदेशक मत्स्य

278

ज्ञापांक : म० / बजट–05 / 2026 ....39......... / मत्स्य / पटना, दिनांक : 30.09.2026 .... /

प्रतिलिपि :

1. विवरणी–I की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विवरणी–I की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. विवरणी–I की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित) / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. विवरणी–I की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा / संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी) / उप मत्स्य निदेशक, (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित) / रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. विवरणी–I की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

29/09/26

निदेशक मत्स्य

विवरणी –I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु आवंटन की विवरणी।

मांग सं०– 02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101– अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0117–मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02.2405001010117

क्र0 सं0	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विषयशीर्ष 0117.33.01–सब्सिडी मद			विषय शीर्ष 0117.13.01– कार्यलय व्यय मद		कुल वर्तमान आवंटन
			निजी चौर इनपुट सहित (लाभुक आधारित), इकाई लागत 9.69 लाख / हे0 — सभी वर्गो के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)			प्रशासनिक व्यय	वर्तमान आवंटन (32 प्रतिशत)	
			रकवा (हे0)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (32 प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना	2.00	969000	310080	25000	8000	318080
2	बक्सर		2.00	969000	310080	25000	8000	318080
3	सुपौल		11.00	5329500	1705440	50000	16000	1721440
4	मधेपुरा		3.00	1453500	465120	25000	8000	473120
5	सहरसा		9.00	4360500	1395360	50000	16000	1411360
6	पश्चिम चम्पारण		6.00	2907000	930240	50000	16000	946240
7	पूर्वी चम्पारण		6.00	2907000	930240	50000	16000	946240
8	सीतामढ़ी		9.00	4360500	1395360	50000	16000	1411360
9	शिवहर		5.00	2422500	775200	25000	8000	783200
10	मुजफ्फरपुर		22.00	10659000	3410880	75000	24000	3434880
11	वैशाली		9.00	4360500	1395360	50000	16000	1411360
12	समस्तीपुर		10.00	4845000	1550400	50000	16000	1566400
13	मधुबनी		31.00	15019500	4806240	75000	24000	4830240
14	दरभंगा		6.00	2907000	930240	50000	16000	946240
15	अररिया		3.00	1453500	465120	25000	8000	473120
16	किशनगंज		6.00	2907000	930240	50000	16000	946240
17	पूर्णियाँ		5.00	2422500	775200	25000	8000	783200
18	कटिहार		3.00	1453500	465120	25000	8000	473120
19	भागलपुर		5.00	2422500	775200	25000	8000	783200
20	बेगुसराय		5.00	2422500	775200	25000	8000	783200
21	खगड़िया		9.00	4360500	1395360	50000	16000	1411360
22	गोपालगंज		6.00	2907000	930240	50000	16000	946240
23	सिवान		9.00	4360500	1395360	50000	16000	1411360
24	सारण		5.00	2422500	775200	25000	8000	783200
कुल योग			**187.00**	**90601500**	**28992480**	**1000000**	**320000**	**29312480**

निदेशक मत्स्य